

पूरुव रेलवे

सं.ई.850/हिंदी-2/5.4.6

कोलकाता, दिनांक : 16/03/2026

सभी प्रधान विभागाध्यक्ष,

मंडल रेल प्रबंधक - हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा

मुख्य कारखाना प्रबंधक - लिलुआ, जमालपुर, कांचरापाड़ा, सिग्नल कारखाना/हावड़ा

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - लिलुआ, जमालपुर, हालिशहर

वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक - हावड़ा

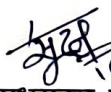
विषय: हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और
काव्य-गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना - आधार वर्ष-2025

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 06.03.2026 का पत्र सं. हिंदी-2026/प्रशि.7/2 (प्रतिलिपि संलग्न)

कृपया रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन किया जाए एवं तदनुसार इन योजनाओं का अपनी रेलवे में व्यापक प्रचार करें ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी एवं कर्मचारी इन योजनाओं की ओर आकर्षित हो सके।

कृपया इन योजनाओं से संबंधित पुस्तक की 04 मुद्रित अथवा 04 टंकित प्रतियां (03 रेलवे बोर्ड भेजने के लिए तथा 01 मुख्यालय के लिए) निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा और घोषणा-पत्र के साथ मुख्यालय (राजभाषा विभाग) को दिनांक 04.05.2026 तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आगे की कार्यवाई हेतु रेलवे बोर्ड भेजा जा सके। उक्त पुस्तक का लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2025 के बीच पूरा हुआ होना चाहिए। साथ ही, रेलवे बोर्ड द्वारा भेजी गई मार्गदर्शी सिद्धांत का पूर्णतः अनुपालन करना चाहिए तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।

संलग्न: यथोक्त।


(डॉ. मधुसूदन दत्त)

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2026/प्रशि.7/2

नई दिल्ली, दिनांक: 06.03.2026

महाप्रबंधक (राजभाषा)

मध्य रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे,
गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे, चेन्नै
दक्षिण मध्य रेलवे,
सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
पश्चिम रेलवे, मुंबई
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

महाप्रबंधक (राजभाषा)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज
बरेका, वाराणसी
सडिका, चेन्नै
रेडिका, कपूरथला
चिरेका, चित्तरंजन
रेपका, बेंगलूरु
आ.रे.डि.का., रायबरेली
निदेशक
जगजीवन राम रेसुब
अकादमी, लखनऊ.
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय,
नई दिल्ली.

महानिदेशक

भा.रे.रा.अकादमी,
वडोदरा अ.अ.मा.सं.,
लखनऊ इरिसेन, पुणे
इरिमी, जमालपुर
इरिसेट, सिकंदराबाद
इरिफेम, सिकंदराबाद
इरिएन, नासिक रोड
इरिटिम, लखनऊ
प्रबंध निदेशक
भा.रे.वि.नि., नई दिल्ली
डी.एफ.सी.सी.आई.एल,
नई दिल्ली
क्रिस, नई दिल्ली
प्रधान सचिव
भारतीय रेल सम्मेलन,
नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक
कोंकण रेलवे, मुंबई
रे.वि.नि.लि., नई
दिल्ली कॉन्कॉर, नई
दिल्ली
इरकॉन, नई दिल्ली
राइट्स, गुरुग्राम
रेलटेल, गुरुग्राम
आईआरसीटीसी, नई
दिल्ली
प्रधान मुख्य प्रशा.
अधिकारी
पटियाला रेलइंजन
कारखाना, पटियाला
कॉफमो, नई दिल्ली
रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण,
नई दिल्ली

विषय: हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना- आधार वर्ष 2025.

रेलकर्मि लेखकों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय की हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजनाएं लागू हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए जाने की व्यवस्था है:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
(i)	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेमचंद पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु 10,000/-रु 7,000/-रु
(ii)	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु 10,000/-रु 7,000/-रु

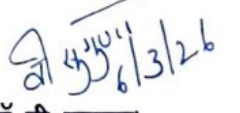
आधार वर्ष-2025 की उक्त दोनों योजनाओं हेतु विभिन्न रेल कार्यालयों आदि से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। इन योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न हैं।

कृपया इन योजनाओं का अपनी रेलवे आदि में व्यापक प्रचार करें ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं की ओर आकर्षित हो सकें।

लेखक को पुस्तक की 03 मुद्रित अथवा 03 टंकित प्रतियां भेजने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नं. 316, कॉफमो बिल्डिंग, रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002 को दिनांक 05.06.2026 तक भेजना होगा।

सभी प्रविष्टियां प्रधान कार्यालय के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को दिनांक 05.06.2026 तक भिजवाई जाएं।

संलग्नक : यथोक्त


(डॉ. वी. सुगुणा)
निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

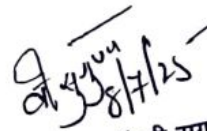
प्रतिलिपि: बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा, दया बस्ती, नई दिल्ली में स्थित कार्यालयों में कार्यरत बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिए जाएंगे:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
(i)	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेमचंद पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु 10,000/-रु 7,000/-रु
(ii)	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु 10,000/-रु 7,000/-रु

- कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य, गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार दिया जाएगा।
- इन योजनाओं के तहत पुरस्कार हेतु पुस्तकों का चयन साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा साहित्य अकादमी के पुस्तक मूल्यांकन संबंधी मानदंड के आधार पर किया जाएगा।
- केवल सेवारत रेलकर्मों ही इन योजनाओं में भाग लेने के पात्र होंगे।
- जिस पुस्तक/कृति को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष (आधार वर्ष) से पिछले तीन वर्षों में लिखी (टंकित प्रति) अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए। उदाहरणार्थ: यदि आधार वर्ष 2022 के लिए प्रविष्टियां मांगी गई हों, तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01.01.2020 से 31.12.2022 तक पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।
- पुस्तक लेखक की पूर्णतः मौलिक कृति होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।



डॉ. वी. सुगुणा / Dr. V. SUGUNA
निदेशक, राजभाषा / Director (OL)
रेलवे बोर्ड / Railway Board
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
नई दिल्ली

7. भेजी गई प्रविष्टि को पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के किसी प्रशासन की किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त न हुआ हो।
8. प्रत्येक योजना में एक लेखक /कवि एक समय पर केवल 01 ही पुस्तक भेज सकता है।
9. इन योजनाओं के अंतर्गत एक लेखक/कवि को उनकी पुस्तक/कृति के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार ही पुरस्कृत किया जाएगा।
10. इन योजनाओं के अंतर्गत बोर्ड कार्यालय में पुस्तक/कृति प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस संबंध में पत्र जारी होने की तारीख से 3 महीने होगी। अंतिम तिथि के बाद प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
11. इस नियमावली में आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तनों/संशोधनों/समावेशों आदि के लिए रेलवे बोर्ड का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठों से कम नहीं होनी चाहिए।
13. पुरस्कृत पुस्तक की 20-20 प्रतियां प्रत्येक रेल तथा 2-2 प्रतियां प्रत्येक उत्पादन इकाई द्वारा अपने-अपने हिंदी पुस्तकालयों के लिए खरीदे जाने की परिपाटी है। इन पुस्तकों की खरीद पर धनराशि की व्यवस्था रेल प्रशासनों द्वारा पुस्तकालयों के लिए आबंटित बजट राशि में से की जाएगी।
14. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
15. लेखक को पुस्तक की 03 मुद्रित अथवा 03 टंकित प्रतियां भेजने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नं. 316, कॉफ़मो बिल्डिंग, रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002 को भेजना होगा।
16. ये संशोधन आधार वर्ष-2024 से लागू होंगे।

वी. सुगुणा
8/7/25

डॉ. वी. सुगुणा / Dr. V. SUGUNA
निदेशक, राजभाषा / Director (OL)
रेलवे बोर्ड / Railway Board
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
नई दिल्ली / New Delhi

प्रेमचंद/मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

1. (क) लेखक का नाम (द्विभाषी रूप में) :
(ख) पदनाम :
(ग) कार्यालय का नाम और पता :
2. पुस्तक का नाम :
3. पुस्तक का विषय :
4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि कोई हो) :
5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने :
की तारीख (माह-वर्ष)
6. पृष्ठों की संख्या :

घोषणा-पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है। यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

लेखक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

कार्यालय का पूरा पता :

रेलवे फोन:

दिनांक:

मोबाइल नं.:

स्थान :

ई-मेल:

फैक्स नं. :